

पत्र संख्या : ७ब/२७०२ गै०यो० ज०सं०-०१/१२-०५

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी  
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, रॉची/दुमका  
निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय/संबंधित अधीक्षण अभियंता/  
संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित उप निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल/  
संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड रॉची।

रॉची, दिनांक १३-०४-२०१२

विषय :- वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के मांग संख्या— ५० लघु सिंचाई विभाग, मुख्य शीर्ष—२७०२— लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष—०२—भू—जल, लघु शीर्ष—००५ अन्वेषण, उप शीर्ष—०१ सर्वेक्षण और जौच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बजट मुख्य शीर्ष २७०२— लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट—I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या ५० लघु ०२—भू—जल सिंचाई विभाग / २७०२—लघु सिंचाई	००५—अन्वेषण/०१—सर्वेक्षण एवं जौच		4292.200

कुल आवंटित राशि -

रुपये बेयालीस करोड़ बेरानबे लाख बीस हजार मात्र

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के बजट उपबंध ₹ 7281.05 लाख (बहत्तर करोड़ एक्यासी लाख पाँच हजार) मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि。(२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. आवंटित राशि से दिनांक १५.११.२००० के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(ओंकार नाथ)  
सहा. अभि.

(सुबोध कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव (आभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राष्ट्र (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राष्ट्र का तुरत प्रत्यर्पण कर दें।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग—1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

**नोट :** यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

**अनु. :- यथोक्त**

**(एस० के० शतपथी)**  
**प्रधान सचिव**

**ज्ञापांक :- 05**

**रॉची, दिनांक :- 13. 04. 2012**

**प्रतिलिपि :-** महालेखाकार, झारखण्ड पो. – हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा / जमशेदपुर/सरायकेला/चाईबासा/गुमला/खूटी/सिमडेगा/लातेहार/लोहरदगा/मेदिनीनगर/गढ़वा / हुसैनाबाद/चतरा/हजारीबाग/रामगढ़/कोडरमा/गिरिडीह/धनबाद/बोकारो/देवघर/दुमका/गोड़डा/पाकुड़/साहेबगंज/जामताड़ा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनु. :- यथोक्त**

**(एस० के० शतपथी)**  
**प्रधान सचिव**

**ज्ञापांक :- 05**

**रॉची, दिनांक :- 13. 04. 2012**

**प्रतिलिपि :-** प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनु. :- यथोक्त**

(ओंकार नाथ)  
सहा. अभि.

(सुदूर कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी )  
प्रधान सचिव

मांग संख्या-50—लघु सिंचाई विभाग

मुख्य शीर्ष-2702—लघु सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-02 भूजल  
लघु शीर्ष-005 अचेषण / उप शीर्ष-01 सर्वेषण और जॉच

पत्रांक 05 दिनांक 13.6.12 का अनुलग्नक

क्रमांक	वित्तीय वर्ष 2012-2013	विस्तृत शीर्ष-01—देतान एवं भर्ते										विस्तृत शीर्ष-02-		विस्तृत शीर्ष-03—प्रशासनिक व्यय		विस्तृत शीर्ष-04-	विस्तृत शीर्ष-05-	
		देतान	जीवन धारण	योग	15.11.2000	एल0टी०सी०	देशीय यात्रा	कार्यालय	कियारा दर्दे	आपूर्ति एवं सामग्री	दूसराथ	बद्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़िया इंधन एवं मरम्मति	किया प्रमार	कुल योग	अभियुक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका	आवटित राशि 6.00	5.00	11.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	11.90
2	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, रौंची	आवटित राशि 80.00	46.00	126.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	126.90
3	योजना मोनोट्रिंग एवं आयोजन अंचल-3, रौंची	आवटित राशि 29.00	17.00	46.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	46.55
4	लघु सिंचाई अंचल-चाहासा	आवटित राशि 10.00	6.00	16.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	16.55
5	लघु सिंचाई अंचल, दुमका	आवटित राशि 24.00	17.00	41.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	41.55
6	लघु सिंचाई अंचल, देवधर	आवटित राशि 8.00	5.00	13.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	13.55
7	लघु सिंचाई अंचल—मोहिनीगढ़	आवटित राशि 14.00	9.00	23.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	23.55
8	लघु सिंचाई अंचल—रौंची	आवटित राशि 43.00	26.00	69.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	69.55
9	लघु सिंचाई अंचल—हजारीबाग	आवटित राशि 25.00	15.00	40.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	40.55
10	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल, दुमका	आवटित राशि 16.00	10.00	26.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	26.35
11	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल—रौंची	आवटित राशि 75.00	45.00	120.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	120.35
12	लघु सिंचाई प्रमंडल—कोडरामा	आवटित राशि 44.00	26.00	70.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	70.35
13	लघु सिंचाई प्रमंडल—खेटी	आवटित राशि 93.00	55.00	148.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	148.35
14	लघु सिंचाई प्रमंडल—गढ़वा	आवटित राशि 67.00	40.00	107.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	107.35
15	लघु सिंचाई प्रमंडल—गिरिजिह	आवटित राशि 67.00	40.00	107.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	107.35
16	लघु सिंचाई प्रमंडल—गुमला	आवटित राशि 141.00	84.00	225.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	225.35
17	लघु सिंचाई प्रमंडल—गोड्डा	आवटित राशि 88.00	53.00	141.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	141.35
18	लघु सिंचाई प्रमंडल—चतरा	आवटित राशि 75.00	44.00	119.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	119.35
19	लघु सिंचाई प्रमंडल—चाईबासा	आवटित राशि 91.00	54.00	145.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	145.35

(ओकार नाथ)  
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव (अभिना)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

लाख रुपये में  
(एस० के अनुपात)  
प्रधान सचिव

प्राप्ति क्रमांक ०५ दिनांक १३.५.२०१८

### वित्तीय वर्ष 2012-2013

### विस्तृत शीर्ष-०१—वेतन एवं भर्ते

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	वेतन	जीवन यापन भरता	योग	15.11.2000 एलटी०सी०	देशीय यात्रा वेतनादि	कार्यालय व्यय	किया दरे, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूसाथ	विद्युत व्यय	मोटरगाड़िया इच्छा एवं मरम्मति	विषय प्राप्ति	विस्तृत शीर्ष-०२-	विस्तृत शीर्ष-०३—प्रारम्भिक व्यय	
१	२	२० लघु सिचाई प्रमडल—जमशेदपुर	आवंटित राशि	109.00	65.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	174.35
२१	लघु सिचाई प्रमडल—जामताडा	आवंटित राशि	70.00	42.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	112.35
२२	लघु सिचाई प्रमडल—दुमका	आवंटित राशि	191.00	114.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	305.35
२३	लघु सिचाई प्रमडल—धनबाद	आवंटित राशि	81.00	49.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	130.35
२४	लघु सिचाई प्रमडल—पान्कुड़	आवंटित राशि	106.00	64.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	170.35
२५	लघु सिचाई प्रमडल—बोकारो	आवंटित राशि	76.00	45.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	121.35
२६	लघु सिचाई प्रमडल, मेहिनोनगर	आवंटित राशि	71.00	46.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	117.35
२७	लघु सिचाई प्रमडल—रामगढ़	आवंटित राशि	87.00	53.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	140.35
२८	लघु सिचाई प्रमडल—सौंधी	आवंटित राशि	150.00	90.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	240.35
२९	लघु सिचाई प्रमडल—लातहार	आवंटित राशि	61.00	35.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	96.35
३०	लघु सिचाई प्रमडल—लोहरदगा	आवंटित राशि	60.00	35.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	95.35
३१	लघु सिचाई प्रमडल—सारायकेला	आवंटित राशि	66.00	40.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	106.35
३२	लघु सिचाई प्रमडल—साहेबगंज	आवंटित राशि	109.00	64.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	173.35
३३	लघु सिचाई प्रमडल—सिमडेगा	आवंटित राशि	74.00	44.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	118.35
३४	लघु सिचाई प्रमडल—हजारीबाग	आवंटित राशि	88.00	53.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	141.35
३५	लघु सिचाई प्रमडल—हुसैनाबाद	आवंटित राशि	52.00	35.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	87.35
३६	लघु सिचाई लूपांकण एवं मोनेटरिंग प्रमडल, डुमका	आवंटित राशि	6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	10.35
३७	लघु सिचाई लूपांकण प्रमडल—दुमका, जिलेर देवधर	आवंटित राशि	75.00	44.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	119.35
३८	लघु सिचाई लूपांकण प्रमडल, रौची	आवंटित राशि	74.00	44.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	118.35
३९	निदशक, मूर्ग जल निदशालय, रौची	आवंटित राशि	16.00	10.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	26.35
४०	मूर्ग जल सर्वेक्षण प्रमडल—दुमका	आवंटित राशि	11.00	6.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	17.35
४१	मूर्ग जल सर्वेक्षण प्रमडल—रौची	आवंटित राशि	31.00	19.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	50.35
४२	मूर्ग जल सर्वेक्षण प्रमडल—हजारीबाग	आवंटित राशि	10.00	7.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	17.35
कुल	आवंटन —		2670.00	1605.00	4275.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	0.00	4292.20

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विषय-१४/२०१०-५०/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विप्रतीकरण के आधार पर ही

मुआतान अनुमत्य है।

(ऑकार नाथ)

साहायक अधिकारी

कुल

आवंटित राशि—

रूपये बेयालीस करोड़ बेरानबे लाख डॉस हजार मात्र

(सुबोध कुमार सिंहा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

प्रधान सचिव

(ओ. सी. निमान)

विषेष सचिव

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव